

79

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. निगरानी 240/1/2017

दिनांक 18-11-17 को
को सच. की डबे को
द्वारा प्रस्तुत।

ब्रजमोहन पुत्र कन्हैया जाति बैरवा,
निवासी बडौदा तह. बडौदा जिला श्योपुर
हाल निवासी इटावा तह.पीपल्दा जिला
कोटा (राजस्थान)

M.V. Dubey
Advocate
Dist. Court Sheopur


श्री. राजशिव प्रसाद
द्वारा अर्जित की कर्ज
प्रस्तुत।
कलेक्टर, म.प्र. राजस्व मण्डल
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.....निगरानीकर्ता/आवेदकग

बनाम

.....गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

**आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.सं.1959 विरुद्ध
कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 01/2016-17/अ-21 में पारित
आदेश पत्रिता दिनांक 07.01.17 से व्यथित होकर।**



माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :-

यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू.संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) तथा 158(3) के तहत आवेदन पत्र ग्राम बडौदा स्थित अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कं. 1976 रकबा 2.613हेक्टेयर के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 29.11.16 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी पर पारिवारिक खर्चों के कारण अत्यधिक कर्जा हो गया है। आवेदक ने परिवार में शादीयां, भात, इत्यादि में खर्चा करने के लिये कर्जा लेना पडा।परिवार में अत्यधिक कर्ज होने के गम से प्रार्थी का पुत्र दुर्गाशंकर भी आत्यहत्या कर चुका है। आवेदक को उक्त भूमि से इतनी फसल भी नहीं होती है कि वह अपना कर्ज चुका सकें। इसलिये प्रार्थी मजबूरन इटावा राजस्थान में रहने लग गया है। प्रार्थी की देखरेख करने वाला ग्राम बडौदा में कोई नहीं हैं प्रार्थी अपना कर्ज चुकाने के लिये अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को विक्रय करने का निश्चत किया हैं आवेदक की उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित के रूप में दर्ज है।

कमंश:.....2

Signature

Signature


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/240/एक/2017

जिल्लाशुभपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-2-17	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 01/16-17/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 07-01-2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई है कि आवेदक की स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम बड़ौदा भूमि सर्वे क्रमांक 1976 रकबा 2.613 हेक्टेयर के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 29-11-2016 को इस आधार पर प्रस्तुत किया की प्रार्थी को पारिवारिक खर्च के कारण अधिक खर्चा हो गया है एवं प्रार्थी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है आवेदक को उक्त भूमि से इतनी फसल भी नहीं होती की वह अपना कर्जा चुका सके। इस कारण से प्रार्थी राजस्थान स्थित ग्राम इटावा में निवास करने लगा है। इस कारण से अपने कर्जा चुकाने एवं अपने ईलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता के लिये आवेदक को अपनी भूमि को विक्रय करने</p>	





की अनुमति दी जाये। आवेदक के उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रार्थी द्वारा बार-बार निवेदन करने के बाद दिनांक 07-01-17 को उक्त आवेदन पत्र पर विक्रय की अनुमति के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। बल्कि प्रकरण को पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय की ओर जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रेषित कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश एवं कार्यवाही के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4- आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया की आवेदक द्वारा अपनी भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसे बीमारी का ईलाज कराने हेतु एवं अपने कर्जे को चुकाने हेतु रुपयों की आवश्यकता है जिस हेतु आवेदक ने भूमि को विक्रय करने हेतु एक अनुबंध पत्र लालचंद के पक्ष में संपादित किया है। इसलिये भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। आवेदक द्वारा अनुबंध पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए थी।






किंतु उनके द्वारा सद्भावना पूर्वक विचार किये बिना जो आदेश एवं कार्यवाही वर्तमान प्रकरण में की जा रही है वह विधिवत् नहीं होने से निरस्त किये जाये एवं भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये।

5- मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।


6- उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेख के क्रम में यह देखना है कि क्या कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 07-01-2017 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है प्रकरण में जब समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे तथा बताया गया था कि आवेदक को बीमारी का ईलाज कराने एवं अपने कर्जे को चुकाने हेतु रुपयों की आवश्यकता है तब ऐसी स्थिति में विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07-01-2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक के अभिभाषक के तर्क अनुसार आवेदक अपनी भूमि का विक्रय ईलाज कराने हेतु एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना चाहिये था। प्रकरण में देखना यह है कि आवेदक भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है या नहीं क्योंकि पट्टे की भूमि पर पट्टाधिकारी 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भूमि स्वामी बन जाता है इस संबंध में रामचन्द्र उर्फ




रामचरण एवं अन्य बनाम ईश्वर दीन, 2009 आर. एन. 119 अवलोकनीय है एवं एक अन्य दृष्टांत सविना पार्क रिसोर्ट्स एण्ड टूरस प्राइवेट लि. ग्वालियर बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य 2012(2) MPLJ 363=2012(2) (MP-HC-SB) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि पट्टे को दस वर्ष बीत जाये तो बिना अनुमति के भी अंतरण किया जा सकता है। क्योंकि पट्टाधारी को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वर्तमान प्रकरण में भी आवेदक के पिता के समय पट्टा प्रदान किया गया था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादित भूमि पर आवेदक का नाम अंतरित हो गया। ऐसी स्थिति में आवेदक लगातार 10 वर्षों से भी अधिक समय से पट्टाधारी रहा है एवं कृषक के रूप में कार्य कर रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिया जाना न्याय हित में उचित समझता हूँ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2016-17/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 07-01-2017 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम बड़ौदा



जिला-शुओपुर में स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 1976
रकबा 2.613 हैक्टेयर के विक्रय की अनुमति दी
जाती है।


(एम०के० सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

